परियोजना विवरण :— जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर के अन्तर्गत निरई मोटर मार्ग के किमी0 1.80 से औलिया गांव लछ्मपुर व सूपाकोट तक मोटर मार्ग का नव निर्माण। (लम्बाई 3.200 किमी०)

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र ग्राम पंचायत का नाम– ग्राम निरई, लछ्मपुर, औलियागांव, सिमखोला व सूपाकोट

तहसील सोमेश्वर व जिला-अल्मोड़ा

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद अल्मोड़ा के विधानसमा क्षेत्र सोमेश्वर के अन्तर्गत निरई मोटर मार्ग के किमी0 1.80 से औलिया गांव लछ्मपुर व सूपाकोट तक मोटर मार्ग का नव निर्माण (लम्बाई 3.200 किमी०) के निर्माण हेतु कुल 0.018 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग विभाग / संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। एक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायता निर्क सिंग् केली स्वयान द्वारा दिनांक 11/01/2.021 को सम्पन्न ग्राम सभा / ग्राम पंचायता की तैठक में प्रयोक्ता एजन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्वप्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कज्जा / कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है। चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम निर्फ्ड, लछ्मपुर, औलिय:गांब, सिमखोला व सूपाकोट के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि निर्माण खण्ड, लो०नि0दि०, अल्मोडा (प्रयोक्ता एजेन्सी) को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

भूमस्था प्रति किस्ति ग्राम सचिव

2.

)

ज्रम बनायत सुधाकाठ
 त्रिक वाक् ताकुला (अल्गोडा)

ग्राम प्रधान प्रधान ग्राम पंचायत निरई वि० ख0 नाकुला (अल्मोड़ा)

दीया जोस्ताभी प्रधान

श्वाम पंचायत सिमखोला पी० थो० रनमन 'व०ख० ताकुखा (अञ्चाउम)

दिनांक 11/01/2021. को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत लछ्मपुर

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
	दिवान राम	19-41-512121
$\overline{\mathbb{Q}}$	अगदीश राम	6019/21214
(3)	तमाते ठाम	4114214
(P)	गोपाल शम	Jilung 214
۵	3112425 5171	311-1-2 2117
Ø	मौपाल राम	Grofol Barn
Ð	सार मार्ग	JI 2/11 (24)
8	इम राभ	धन राभ
	भुवन राम	अवन राम
	गीपाल शम	र्वापाल गाम
	गणेश २१म	210121212

8,

ग्राम प्रधान

11/01/2021. को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति दिनांक

ग्राम पंचायत सिमखोला

कुमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
क्रमा फ		
1	311-1-G Diet	अग्नि १-१-१२
(2 End Birt	20 hallit
2	ant pili	लन्द शिश
3		210121 12121
<u>u</u>	5/0/21 5/2	
7	211 4101 217	गायाल राभ
S	21211 दवा	A second se
8		सरस्यता देवी
7	सरस्वती देवी	
X	211-011 601	शान्ती देवी
0	साहना देवी	मोहनी देवरी
9		atminice -
10	217 12121	22 214
11	521 217	
L I		तीया जोश्चता भी प्रधान

याम वंचायत सिमखाल पौo झोo-रनमन • अग्राम प्रधानित्वाड़ा,

đ.,

दिनांक 1101/2021 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत निरई

कमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
	20	
01_	141 MILE - 326	& ersol
	Ph21-1 <15	19,21-12121
	2 मन्त्र २/५	9622105
	J-c/ LIM	व-वाराम
	खाला राष्ट्र	CITAPITZI
	सुरमर्ड २७	ग्रमार्थराय
	दितान राम	हि वानरा भ
	हरी राम	EXXM
ē.	311-5-5 216	for well a
	-पन राम	CI 217777
	जित राम	Form

₫.

गाम पंचायत निरई विष ख0 नग्रास्न प्रधानल्मोडा)

दिनांक 11/01/2021 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत सूपाकोट

कमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
\bigcirc	दिवान शम	B =11 =1 × 1 × 1 × 1
Ì	দেৰাহীগ্ৰা হাম	
3	प्रान राम	त्रताम् राम
Ÿ	चौपाल राम	
S	अविषदि राम	3(1+2 21)7
B	जीपत्नि राम	Ord dem
Ð	हान राम	दा द्वात् (14) दा राष
8	हाम राभ	
e) e	भुवम राभ	भुवन २११
0	भार होगति होम	JULAIN
00	अठीश राम	JUIZIZIT

4.

ग्राम आधान () सन्तर ७। २वर

भाग पचाबत सूणकाठ विव बाठ ताकुला (अल्मोडा)

परियोजना विवरण :-- जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर के अन्तर्गत निरई मोटर मार्ग के किमी0 1.80 से औलिया गांव लछ्मपुर व सूपाकोट तक मोटर मार्ग का नव निर्माण। (लम्बाई 3.200 किमी०)

कार्यालय उप जिलाधिकारी, सोमेश्वर

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण—पत्र उपखण्ड स्तरीय समिति,सोमेश्वर, अल्मोड़ा

उपखण्ड सोमेश्वर परिक्षेत्र के जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर के अन्तर्गत निरई मोटर मार्ग के किमीo 1.80 से औलिया गांव लछ्मपुर व सूपाकोट तक मोटर मार्ग का नव निर्माण (लम्बाई 3.200 किमीo) के निर्माण हेतु कुल 0.018 हैo वन भूमि, का निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील सोमेश्वर) की दिनांक **18:61:2621** को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरणः—

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक माननीय सीमा विश्वकर्मा उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1- .माननीय सीमा विश्वकर्मा, उपजिलाधिकारी, सोमेश्वर, अध्यक्ष उप ित्या कि तो त्या कि तो त्या कि तो त्या त्या कि तो त्या त्या विकार अल्मोड़ा, सदस्य
2- श्री र्रवेन्द्र वेत्रदेवी र सहायक समाज कल्याण अधिकारी, अल्मोड़ा वन-समाए, अल्मोड़ा, सदस्य
3- श्री र्रवेन्द्र वेत्रदेवी र सहायक समाज कल्याण अधिकारी, त्या विकार वयायत विवाय वयायत व्यायत वयायत वया व्यायत वयायत व्यायत व्यायत वया व्यायत व्यायत व्यायत व्यायत व्यायत व्यायत व्यायत व्यायत व्यायत वया व्यायत व्याय व्यायत व्याय व्यायत व्याय व्याय व्याय व्याय व

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप

जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर के अन्तर्गत निरई मोटर मार्ग के किमी0 1.80 से औलिया गांव लछ्मपुर व सूपाकोट तक मोटर मार्ग का नव निर्माण (लम्बाई 3.200 किमी०) प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित

प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है। संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम,

2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड सोमेश्वर परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसमा क्षेत्र सोमेश्वर के अन्तर्गत निरई मोटर मार्ग के किमीo 1.80 से औलिया गांव लछ्मपुर व सूपाकोट तक मोटर मार्ग का नव निर्माण (लम्बाई 3.200 किमीo) के निर्माण हेतु कुल 0.018 हैo वन भूमि, निर्माण खण्ड, लोoनिoविo, अल्मोड़ा प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

> उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति तहसील सोमेश्वर व जनपद अल्मोड़ा

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, अल्मोड़ा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति तहसील– सोमेश्वर, जनपद अल्मोड़ा

FORM-1 Government of Uttarakhand Office of the District Collector: Almora

Dated 19 - 01 - 2021

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forest (MOEF) Government of india's letter No:-11-9/98-EC(pt) dated 3rd August 2009 where in the MoEF issued guideline on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled tribes and Other Traditional forest Dwellers (Recognitation of forest Rights, Act 2006 (FRA, for short) on the forest land proposed to be diverted for non forest purposes read with MOEF.s letter dated 5th feb. 2013 wherein MOEF issued certain relaxation in respect of linear projects. It is certified that **0.018** hectares of forest land proposed to be diverted in favor of जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर के अन्तर्गत निरई मोटर मार्ग के किमी0 **1.80** से औलिया गांव लछ्मपुर व सूपाकोट तक मोटर मार्ग का नव निर्माण (लम्बाई 3.200 किमी॰) in Almora district falls within jurisdiction of Nerai, Lachhampur, Auliagaon, Simkhola & Supakote Village (s) in Almora tahsils. It is further certified that:

- (b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it.:-YES
- (c) The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal groups and Preagricultural at communities.:-YES

Encl: As above

8.

No

Nitin Singh Bhadauria District Collector, Almora

FORM-II Government of Uttarakhand Office of the District Collector: Almora

Dated.19.-01-2021

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forest (MOEF), Government of india's letter No:-11-9/98-EC(pt) dated 3rd August 2009 where in the MoEF issued guideline on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled tribes and Other Traditional forest Dwellers (Recognitation of forest Rights, Act 2006 (FRA, for short) on the forest land proposed to be diverted for non forest purposes, It is certified that 0.018 hectares of forest land proposed to be diverted in favor of जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर के अन्तर्गत निरई मोटर मार्ग के किमी0 1.80 से औलिया गांव लछ्मपुर व सूपाकोट तक मोटर मार्ग का नव निर्माण (लम्बाई 3.200 किमीo) in Almora district falls within jurisdiction of Nerai, Lachhampur, Aulia GAon, Simkhola & Supakote Village (s) in Someshwar tahsils.

It is further certified that:

No.....

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out of the entire 0.018 hectares of forest area proposed for diversion A copy of records of all consultation and meetings of the forest Rights Committee (s) Gram Sabha(s) Sub- Division Level committee (s) and District level committee are enclosed as annexure to annexure
- (b) The proposal for such diversion (with full details of the project and its implications, in vernacular/local language) have been placed before each concerned Gram Sabha of forest-dwellers, who are eligible under the FRA. : YES
- (c) The each of concerned Gram Sabha (s), has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out. And that they have given t heir consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. A copy of certificate issued by the gram sabha of Nerai, Lachhampur, Aulia GAon, Simkhola & Supakote villages (s) is enclosed as annexure 3.
- (d) The discussion and decisions on such proposals had taken pace only when there was s quorum of minimum 50% of the members of gram Sabha present: YES
- (e) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it: YES
- (f) The rights of primitive tribal groups and pre-agricultural Communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1) (e) of the FRA: NA

Encl: As above

8

Nitin Singh Bhadauria District Collector, Almora बल्मादा

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER DISTRICT ALMORA (U.K)

<u>Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under</u> <u>schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act</u> <u>(FRA). 2006</u>.

A meeting of the district level committee of Almora district, constituted under FRA, 2006 was held under the chairmanship of Mr. Nitin singh Bhadauria, I.A.S., District Collector, Almora, on date.*19.01.:202.*)..at time.*12:36*..at Almora in which application claiming rights of Nerai, Lachhampur, Aulia Gaon, Simkhola & Supakote measuring 0.018 hac. for the जनपद अल्मोड़ा के विधानसमा क्षेत्र सोमेश्वर के अन्तर्गत निरई मोटर मार्ग के किमीo 1.80 से औलिया गांव लछ्मपुर व सूपाकोट तक मोटर मार्ग का नव निर्माण (लम्बाई 3.200 किमीo) of forest land under FRA, 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Someshwar sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

N.

Place; Almora

Deputy Commissioner-cum-Chairman District Level Committee

DATE: -19.01-2021

1